POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 02.11.2025

1. थाना बादलपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध पिस्टल मय 03 जिंदा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल बरामद।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा हत्या का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 31.10.2025 को थाना बादलपुर पर डायल-112 के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति के घायल अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई, उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान महिपाल पुत्र बुद्धा उम्र 45 वर्ष निवासी बम्बावड़, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई। घटना के सफल अनावरण हेतु तत्काल 06 पुलिस टीमों का गठन किया गया था जिनके द्वारा लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का अवलोकन किया गया था, जिसके आधार पर अभियुक्त की पहचान की गई।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.11.2025** को **थाना बादलपुर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त दीपक गोस्वामी पुत्र अशोक को धूम बाईपास अण्डरपास के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन, 03 जिंदा कारतूस, 01 मोबाइल फोन वीवो, 01 आईफोन व 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0-UP16DK0265 बरामद की गई है।

पूछताछ का विवरण--

अभियुक्त दीपक गोस्वामी बी-फार्मा तृतीय वर्ष का छात्र है तथा वर्ष 2022 से एक कंपनी में एम.आर. (मेडिकल रिप्रज़ेंटेटिव) के रूप में कार्यरत है। अभियुक्त दीपक, मृतक महिपाल जी की पुत्री से विवाह करना चाहता था, परंतु उनकी पुत्री ने उससे विवाह करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। कुछ माह पूर्व मृतक द्वारा अपनी पुत्री का विवाह अन्य स्थान पर तय कर दिया गया था, जिसकी तिथि आगामी माह में निर्धारित थी। इसी कारण अभियुक्त दीपक अत्यधिक क्रोधित और आक्रोशित हो गया। जब विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी वह मृतक की पुत्री से विवाह करने में असफल रहा, तब उसने महिपाल जी की हत्या करने की योजना बनाई। अभियुक्त पिछले लगभग डेढ़ माह से दवाइयों की मार्केटिंग के बहाने मोटरसाइकिल से मृतक के आने-जाने के मार्ग की जानकारी एकत्र कर रहा था तथा उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था। कई दिनों तक नजर रखने के बाद, दिनांक 31.10.2025 को जब

अभियुक्त ने महिपाल जी को अकेला पाया, तो उसने घटना को अंजाम दिया। घटना के उपरांत मृतक की शिनाख्त न हो सके, इस उद्देश्य से अभियुक्त ने मृतक का मोबाइल फोन अपने साथ ले लिया।

नोटः- डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा हत्या का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

दीपक गोस्वामी पुत्र अशोक निवासी ग्राम रोहटा मीरपुर, थाना रोहटा, मेरठ वर्तमान पता कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 310/2025 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन, 03 जिंदा कारतूस

2- 01 मोबाइल फोन वीवो

3- 01 आईफोन

4- 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0-UP16DK0265

2. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 प्रिंटर, 01 लेपटॉप व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.11.2025** को **थाना फेस-1 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1- अनूप पुत्र दलवीर सिंह 2- राहुल गुप्ता पुत्र दिनेश 3- यश गुप्ता पुत्र अरविन्द गुप्ता को सेक्टर-14 की ओर गंदे नाले की पटरी के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए हुए 02 प्रिंटर, 01 लेपटॉप व अभियुक्त अनूप व यश गुप्ता के कब्जे से 01-01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण--

दिनांक 09.10.2025 को अभियुक्तों द्वारा वादी की गाड़ी में से ई-कॉमर्स कंपनी का सामान चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अनूप पुत्र दलवीर सिंह निवासी संगम विहार, थाना तिगरी, दिल्ली, उम्र करीब 34 वर्ष।
2. राहुल गुप्ता पुत्र दिनेश निवासी संगम विहार, थाना तिगरी, दिल्ली, उम्र करीब 34 वर्ष।
3. यश गुप्ता पुत्र अरविन्द गुप्ता निवासी दुग्गल कॉलोनी, थाना नेव सराय, दिल्ली, उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 427/2025 धारा 306/305(बी)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त अनूप का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 0349/2019 धारा 323/341/34 भादवि, थाना संगम विहार, साउथ दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 427/2025 धारा 306/305(बी)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त यश गुप्ता का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 0099/2017 धारा 33/52 आबकारी एक्ट दिल्ली व 174ए भादवि, थाना गोविन्दपुरी, साउथ दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 427/2025 धारा 306/305(बी)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी किए हुए 02 प्रिंटर।
2. चोरी किया हुआ 01 लेपटॉप।
3. 02 अवैध चाकू।